[2022] 6 एस. सी. आर 785

/

जनरल मैनेजर ईस्ट कोस्ट रेल सडन और ए. एन. आर.

बनाम

हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड (सिविल अपील नं. 2022 का 4747)

/

22 जुलाई, 2022

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।42 और 11 (6)-मध्यस्थता कार्यवाही पर अधिकारिता-सक्षम उच्च न्यायालय -अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद-प्रत्यर्थी ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के यू/एस के समक्ष आवेदन दायर किया।11(6) मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करना-अपीलार्थी द्वारा आवेदन की मनोरंजन क्षमता और/या रखरखाव क्षमता पर उठाई गई विशिष्ट आपत्ति।11(6) – एस पर निर्भरता रखना।42, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-दावेदार के रूप में यू/एस द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी।9 विशाखापत्तनम के न्यायालय में, केवल अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के पास आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।11(6) – उड़ीसा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाने वाले उक्त मुद्दे पर निर्णय लिए बिना, उक्त उच्च न्यायालय ने यू/एस आवेदन पर विचार किया।11(6) और यह देखते हुए एक मध्यस्थ नियुक्त किया कि चूंकि अपीलकर्ताओं ने सैद्धांतिक रूप से मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध नहीं किया था, इसलिए प्रत्यर्थी को संबंधित उच्च न्यायालय में भेजने में बहुत कम उद्देश्य पूरा होगा क्योंकि इससे केवल विवादों के निर्णय में देरी होगी-अभिनिर्धारितअपीलकर्ताओं ने मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध नहीं किया होगा (हालांकि मध्यस्थ की नई नियुक्ति का भी अपीलकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया था) इसके द्वारा ही यह उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा यदि अन्यथा, उच्च न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था-आवेदन दायर करने से पहले यू/एस।11(6) उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष, प्रत्यर्थी ने विशाखापत्तनम यू/एस में न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।9 – मामले के उस दृष्टिकोण में, उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने आवेदन यू/एस पर विचार करने में एक गंभीर त्रुटि की।11(6) और मध्यस्थ की नियुक्ति-हालांकि, प्रतिवादी-दावेदार यू/एस के तहत एक आवेदन जमा/स्थानांतरित कर सकता है।11(6) अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के रूप में अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम उच्च न्यायालय के समक्ष।

/

/

/

/

/

/

785 ए.

786

/

[2022] 6 एस सी आर।

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 4747।

2021 की मध्यस्थता याचिका No.10 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 03.12.2021 के निर्णय और आदेश से।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., विवेक गुप्ता, सुश्री कानू अग्रवाल, शैलेश मडियाल, सुश्री दीपबली दत्ता, अनुज श्रीनिवास उडुप्पा, अमरीश कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

अमित दुबे, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. 2021 की मध्यस्थता याचिका में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच विवाद का न्यायनिर्णय न करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया है, मूल सूचनादाता-महाप्रबंधक, पूर्वी तट रेलवे रेल सदन और अन्र ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. इस प्रकार वर्तमान अपील में विवाद बहुत संकीर्ण दिशा में है।

/

3. दिनांकित अनुबंध/समझौते के संबंध में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। कि इसमें प्रतिवादी-मूल दावेदार ने विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, विशाखापत्तनम के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की, जिसमें प्रदर्शन बैंक गारंटी के भुनाने और प्रतिभूति जमा को जब्त करने के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई।उक्त आवेदन को विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 06.11.2019 के आदेश के माध्यम से अनुज्ञात गई, जिसमें अपीलार्थियों को विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छह महीने की अवधि के लिए प्रतिभूति जमा को जब्त करने से रोका गया था।

/

/

4. कि इसके बाद प्रत्यर्थी ने 01.12.2019 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपीलार्थी से पांच दावे उठाते हुए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करने का अनुरोध किया।ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में, मध्यस्थता ए

/

पक्षकारों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करके अपीलार्थियों द्वारा कार्यवाही शुरू की गई थी।कि मध्यस्थ ने पक्षों को अपने-अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए।प्रतिवादी ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए दावा दायर करने के लिए दिनांकित 02.04.2020 पत्र के माध्यम से समय मांगा।मध्यस्थ ने कार्यवाही को 03.04.2020 तक स्थगित कर दिया।दावा प्रस्तुत करने के बजाय, प्रतिवादी ने 01.09.2020 दिनांकित पत्र के माध्यम से मध्यस्थता न्यायाधिकरण की वैधता पर सवाल उठाया।इसके बाद प्रतिवादी ने एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 की मध्यस्थता याचिका दायर की।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 42 पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ताओं ने उक्त आवेदन का विरोध किया और अपीलकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 42 को देखते हुए, अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत आवेदन अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष होगा क्योंकि प्रतिवादी ने पहले विशाखापत्तनम में न्यायालय के समक्ष धारा 9 आवेदन दायर किया था।अपीलार्थियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया था कि नवंबर, 2018 में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी जी. सी. सी. द्वारा दिनांकित 16.11.2016 प्रक्रिया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा निर्भरता रखी गई है, को हटा दिया गया था।उपरोक्त अधिकारिता का मुद्दा उठाए जाने के बावजूद और उड़ीसा उच्च न्यायालय के

अधिकार क्षेत्र को संबोधित किए बिना, कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा मध्यस्थ को केवल यह कहते हुए नियुक्त किया है कि चूंकि अपीलकर्ता, पूर्वी तट रेलवे सिद्धांत रूप में, मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए प्रतिवादी (मूल याचिकाकर्ता) को उपयुक्त उच्च न्यायालय में भेजने का बहुत कम उद्देश्य है क्योंकि इससे केवल विवादों के निर्णय में देरी होगी।

/

/

/

/

/

5. कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी-महाप्रबंधक-पूर्वी तट रेलवे ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. श्री के. एम. नटराज और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अमित दुबे को सुना है।हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देख चुके हैं।अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 11 (6) के अंतर्गत आवेदन की मनोरंजन और/या रखरखाव पर एक विशिष्ट आपत्ति उठाई गई थी।

/

/

उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम।मध्यस्थता अधिनियम की धारा 42 पर रिलायंस को रखा गया था और अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी-दावेदार ने विशाखापत्तनम में न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की थी, केवल अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की अधिकारिता के मूल तक जाने वाले उक्त मुद्दे पर निर्णय

लिए बिना, उक्त उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत आवेदन पर विचार किया है और यह देखते हुए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है कि चूंकि अपीलकर्ता-पूर्वी तट रेलवे ने सैद्धांतिक रूप से मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध नहीं किया है, इसलिए मूल याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च न्यायालय में भेजने का बहुत कम उद्देश्य पूरा हुआ है क्योंकि इससे केवल विवादों के निर्णय में देरी होगी।अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थ की नियुक्ति का विरोध नहीं किया होगा (हालांकि मध्यस्थ की नई नियुक्ति का भी अपीलकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया था) इसके द्वारा ही यह उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करेगा यदि अन्यथा, उच्च न्यायालय के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

/

/

/

7. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 42 पर भारी निर्भरता रखी गई है/जो निम्नानुसार हैः

“42. क्षेत्राधिकार।- इस भाग अंतर्गत या तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि अंतर्गत कहीं और किसी बात के होते हुए भी, जहां इस भाग के अधीन मध्यस्थता समझौते के संबंध अंतर्गत कोई आवेदन किसी न्यायालय अंतर्गत किया गया है, केवल उस न्यायालय को ही मध्यस्थता कार्यवाही पर विधि िता होगी और उससे उत्पन्न होने वाले सभी बाद के आवेदन, उस न्यायालय अंतर्गत समझौता और मध्यस्थता कार्यवाही की जाएगी और किसी अन्य न्यायालय अंतर्गत नहीं।” 7.1 यह विवाद में नहीं है कि कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत एक आवेदन दायर करने से पहले, प्रतिवादी-दावेदार ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत विशाखापत्तनम में अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 42 पर विचार करने वाले मामले को ध्यान में रखते हुए, अकेले अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के पास अनुबंध समझौते से उत्पन्न होने वाले बाद के आवेदनों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा और आगे की मध्यस्थता कार्यवाही अकेले अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में की जानी होगी और किसी अन्य अदालत में नहीं।उस ए में

/

/

/

/

जनरल मैनेजर ईस्ट कोस्ट रेल सरदार बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड [एम. आर.] एसएचएएच, जे।]

इस मामले को देखते हुए कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने और एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करने में गंभीर त्रुटि की है।

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।2021 की मध्यस्थता याचिका में कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश और एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और पूरी तरह से इस आधार पर अलग कर दिया जाता है कि कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय को अनुबंध समझौते के संबंध में अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसके लिए प्रतिवादी दावेदार ने पहले विशाखापत्तनम में न्यायालय में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात ि है।हालाँकि, यह देखा गया है कि प्रतिवादी दावेदार के लिए अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 11 (6) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत करने/स्थानांतरित करने का अधिकार होगा और यदि ऐसा आवेदन आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष किया जाता है, तो उस पर विधि के अनुसार और जल्द से जल्द अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

/

/

/

वर्तमान अपील की उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात ि है।यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/